

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)**

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/36/2024	2024/62	05.08.2024	19.11.2024

1. लीलाराम,

2. रोहताश पुत्रान सुकराम जाति गुर्जर निवासी इन्दौक तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज०।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर (राज०)।

—रेस्पोडेन्ट

तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर रेस्पाडेन्ट अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेडा दिनांक 16-10-2019 जो एक तरफा में पारित किया है जिस निर्णय के द्वारा प्रकरण संख्या 19/19 अनुवान पटवार हल्का माधोगढ़ बनाम लीलाराम रोहताश, प्रकरण अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में अपीलांट को विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमी मान कर राशि 4.00 रु. की पचास गुना शास्ति 200 रु अधिरोपित की गई और जुर्माना राशि वसूल करने व आराजी से बेदखल करने के आदेश दिये गये बमुराद मन्सूखी तजबीज तहत अदालत व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट।

उपरिस्थित:-

01. श्री कमलसिंह पोसवाल  
02. राजकीय अभिभाषक

—वकील अपीलाण्ट्स  
—वकील रेस्पोडेन्ट

—: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 16.10.2019 प्रकरण संख्या 19/2019 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का माधोगढ़ द्वारा ग्राम इन्दौक के खसरा नंबर 1159/1640 रकबा 0.49 है किरम चारागाह वाके इन्दौक पर संवत 2076 में से रकबा 0.49 है. पर कच्चा घर टीनशेड, व बाजरा बो कर अतिक्रमण कर लिया है। ओर अपीलांट को उपरिस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था जिस पर अपीलांट ने उपरिस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। ओर 16.10.2019 को अपीलांट को बिना सुने व समुचित सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये एक तरफा में निर्णय गलत व विधि विरुद्ध तरीके से पारित कर दिया जिस निर्णय से व्यथित होकर यह अपील निम्न वृजहात के साथ पेश की जा रही है। निर्णय दिनांक 16.10.2019 तहसीलदार मालाखेडा का है जिसकी अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से वर्तमान अपील न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही है।

तहत अदालत का निर्णय दिनांक 16.10.19 का है जिस निर्णय की जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नहीं थी तथा विवादित आराजी की बाबत नोटिस 91 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत सन 2019 में दिया था जिसका अपीलांट ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हमारा पुराना बुजुर्गों के समय से कब्जा चला आ रहा है भूमिहीन है तथा परिवार सहित रह रहे है इस भूमि के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है इसलिये हमें विनियमन या आवंटन की जाने की कृपाकरे। जिस पर तहसीलदार साहब ने कहाकि आप पेनल्टी के रूपये जमा करा देवे जब भी राजस्व कैम्प चलेगे तुम्हे विवादित आराजी का विनियमन/आवंटन कर दिया जावेगा अब आपके आने की आवश्यकता नहीं है जिस पर अपीलांट निश्चित होकर आ गया और विवादित आराजी का उपयोग उपभोग बिना रूकावट के करते आ रहे है। दिनांक 27.07.24 को पटवारी हल्का मौके पर आया ओर सूचना दी कि तहसीलदार साहब मालाखेडा द्वारा पुलिस इमदाद से आपका कब्जा हटाने का आदेश जारी हुआ है जिसके बाद 29.07.24 को तहसील मालाखेडा में अपीलांट ने जाकर निर्णय की जानकारी करवा कर उसी दिन प्रार्थना पत्र नकल हेतु पेश किया जो नकल दिनांक 29.07.24 को ही मिल गयी जिस नकल को लेकर अपीलांट अपने वकील साहब के पास आया और कानून सलाह मशवरा किया तो वकील साहब ने अपील करने की सलाह दी जिस पर अपील हेतु खर्च का इतंजाम कर आज बिना देरी पेश की जा रही है। जो अपील मामूलन अंदर अवधी पेश है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

तहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व गिन अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य सफाई हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया इसलिये निर्णय तहत अदालत निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नंबर 1159/1640 रकबा 0.49 है। पर अपीलान्ट ने पक्के दो कमरे जिन पर पक्का पटाव है एक रसोई पक्की उपर टीनशेड एक बैठक उपर छान डली हुई है दो पक्के कमरे टीनशेड डली हुई है पक्की दीवार में 60 फुट टीनशेड लगा रखी है जो चारा रखने एवं मवेशी बांधने के काम आती है एककुमां का राग है एम बनी हुई है एक कुण्डा पानी के एक टीनशेड बनी हुई लिए बना रखा है मैदानी बोरिंग लगा रखा बिजली का कनेक्शन सन 2010 से लगा हुआ है जिससे पानी पीने के काम में लेते है व टैक्टर में लगा आल्टीनेटर से पानी निकाल कर सिंचाई करते है तथा चारो तरफ बाउण्डरी 6-7 फुट उंची हो रही है गेट लगा हुआ है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित रहते है उक्त आराजी में अपीलान्ट अपने बुजुर्गों के समय से ही करीब 50-55 साल से काबिज चले आ रहे है और कार्य काश्त करता चले आ रहे है। तथो अपीलान्ट भूमिहीन है इसके अलावा अन्य रिहायशी मकानात अपीलान्ट के पास नहीं है गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है। विवादित आराजी को अपीलान्ट के हक में विनियमन/आवंटन किये जाने की कृपा करे। राजस्थान सरकार के सरकूलर के अनुसार भी अपीलान्ट विनियमन/आवंटन के पात्र है।

पटवारी हल्का के पत्रावली पर तहत अदालत ने बयान दर्ज नहीं हुये है और ना ही पटवारी की रिपोर्ट पर प्रदर्श डाले गये है जिस कारण पटवारी की रिपोर्ट साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं है। इसलिये भी तहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे समुचित सुनवाई व साक्ष्य सफाई का मौका दिया जाना आवश्यक है लेकिन तहत अदालत द्वारा उक्त सर्वमान्य सिद्धांत की पालना नहीं की गई है। इसलिये तहत अदालत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य एतराज वक्त बहस मौखिक अर्ज किये जावेगें।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा का निर्णय दिनांक 16.10.19 अपास्त किये जाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पौडैन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पौडैन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का माधोगढ की संवत 2076 की रिपोर्ट दिनांक 19.08.2019 के अनुसार अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नं0 1159/1640 रकबा 0.49 है0 में से 0.48 है0 पर बाजरा एवं 0.01 है0 पर कच्चा घर मय टीनशेड बनाकर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी/अपीलान्ट द्वारा विधिवत उपस्थित होकर अतिशीघ्र अतिक्रमण हटाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। विवादित भूमि किस्म चारागाह है। पत्रावली पर आए तथ्यों विश्लेषण से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 16.10.2019 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.10.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(योगेश कुमार डागुर)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज0)